फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

श्री कमला व अन्य .... बनाम बालूराम व अन्य ....

किस्म मुकदमा 188,53,91,183,187,188 181 / 2007......सन ....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
31.10.2017	पत्रावली पेश हुई। वकिल उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत दावे को अबेटमेन्ट का वादी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया जबाब बन्द कर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र में कथन किया कि वादी संख्या 2 मानी का स्वर्गवास 25.05.2013 एवं वादी संख्या 3 कानाराम का स्वर्गवास दिनांक 9.2.2012 को हो चुका है तथा वादी द्वारा समयावधि के भीतर कायम मुकाम की कार्यवाही नही की गई है इस कारण वादी के वाद का उपसमन्न हो जाने के कारण निरस्त योग्य है। पत्रावली के अवलोकन से एवं प्रतिवादी संख्या 2 रतनलाल के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ श्रीमति मानी देवी एवं प्रतिवादी संख्या 3 कानाराम के मुत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रीमति मानी व कानाराम का स्वर्गवास हो चुका है । वादी द्वारा समयवधि के भीतर कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है इस कारण वादी का वाद का उपसमन्न हो जोने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । उपखण्ड अधिकारी अजमेर	